सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
22/2020	2020/00049	23.11.2020	26.02.2021

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:– प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री सुरेश कुमावत मैसर्स महाकाल सर्विस सेन्टर सालमगढ़ तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ़

:– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार रसद
2. प्रेमलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी

–: आदेश :–

दिनांक 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.11.2020 मन प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री मनोज कुमार गरासिया, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा संयुक्त रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु मैसर्स महाकाल सर्विस सेन्टर सालमगढ़ तहसील अरनोद पर पहुंचे मौके पर सुरेश कुमावत उपस्थित मिले। मौके पर रूबरू मोतबिरान श्री लोकेन्द्र सिंह पुत्र श्री चंचलराय त्रिपाठी हाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीएमएचओ प्रतापगढ़ की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 06 सिलेण्डर (14.2 किग्रा) जिसमें 4 खसिलेण्डर खाली एवं 02 भरा हुआ एवं 1 रिफलिंग मशीन पाईप सहित पाई गई जिसमें अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों के भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग की पुष्टि होती है। मौके पर गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिकी संबंधी आवश्यक विधिक दस्तावेजात मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं दुरूपयोग किये जाने पर मौके पर मैसर्स डिण्डोर इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस ऐजेन्सी दलोट के प्रतिनिधि द्वारा हैगिंग स्केल से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :–

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	कम्पनी	S.R.No	मानक भार किग्रा	कुल वजन किग्रा	टेयर वजन किग्रा	शुद्ध LPG किग्रा
1	HPC	827284 T	14.2	29.900	15.700	14.200
2	HPC	665814	14.2	29.400	15.500	13.900
3	HPC	456237 E	14.2	15.500	15.500	Nil
4	HPC	090583	14.2	15.900	15.900	Nil
5	HPC	010489	14.2	15.500	15.500	Nil
6	HPC	493156	14.2	15.600	15.600	Nil
			Total			28.100

अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 06 सिलेण्डर को राजसात (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हो जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर प्रदायगी उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल अप्रार्थी को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवासायिक प्रयोजन में लाते हुए सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है, का उल्लंघन किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 06 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।

इसी प्रक्रम में दौराने बहस प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रेमलाल मीणा अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी स्वयं का मकान स्थित है जिस पर मेरी स्वयं की दो टंकिया जो खाली थी एवं अन्य 4 टंकिया जिसमें 2 टंकिया भरी हुई थी जो मेरे पडोसी की थी और 02 अन्य टंकिया मेरे पडोसी की थी जिनको भराने के लिये रखी हुई थी। उक्त मेरे गैस कनेक्शन नम्बर 527440 की तथा मेरी पत्नी सुनिता कुमावत जिसके उपभोक्ता कमांक 527439 है व तीसरा कनेक्शन मेरे रिश्तेदार काकाजी कृष्णाबाई पति धन्नालाल के नाम से जिसके उपभोक्ता कमांक 528354 है एवं मेरे पडोसी संजय कुमार पिता अम्बाराम पाटीदार जिसके उपभोक्ता कमांक 500080 है एवं लीलाबाई पति राजु प्रजापत जिसके उपभोक्ता कमांक 522515 है एवं मेरे रिश्तेदार मुकेश कुमावत पिता कारूलाल कुमावत के उपभोक्ता कमांक 504168 है की टंकिया भराने के लिए मेरे पास रखी थी जिसको खाली होने से भरवाने का कहकर मुझ अप्रार्थी को दे गये थे। अप्रार्थी व सभी पडोसियों ने ये कनेक्शन अरनोद एच.पी. कोठारी गैस के यहां से लिये है। मेरे यहां गाडियां धोने की सर्विस सेन्टर की दुकान होने के कारण मेरे यहां पर गैस टंकिया भरवाने के लिये रख गये थे। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अवैधानिक रूप से गैस रिफलिंग का कार्य नहीं करता है। अतः जप्तशुदा सिलेण्डर वापस दिलाये जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र जिला रसद अधिकारी, पर्चा मौका, फर्द चेकिंग,फर्द अभिग्रहण,सुपुर्दगीनामा, व फोटोग्राफ्स एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 01.11.2020 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 06 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध

जिला कलक्टर

Scanned with CamScanner

में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेरोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 03.11.2020 को अप्रार्थी के यहाँ से फर्द जब्ती में वर्णित 06 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

कलक्टर प्रतापगढ़